मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

बुधवार, दिनांक 22 मार्च, 2017 (चैत्र 1, शक संवत् 1939)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:03 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 18 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4, 7, 8 ,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एवं 20) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 155 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 208 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री सुदर्शन गुप्ता, सदस्य की पब, बार व ढाबों में देर रात तक शराबखोरी होने,

(2) श्री प्रहलाद भारती, सदस्य की पोहरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सतनवाड़ा नरवर रोड का कार्य निर्धारित समय में पूर्ण न करने,

(3) श्री आरिफ अकील, सदस्य की भोपाल के लालघाटी क्षेत्र में वर्षों से काबिज लोगों को हटाये जाने,

(4) इंजी.प्रदीप लारिया, सदस्य की सागर जिले की नरयावली विधानसभा क्षेत्र अतंर्गत ग्राम पंचायत भैसा एवं पथरिया में पेयजल संकट होने,

(5) श्री गोवर्धन उपाध्याय, सदस्य की विदिशा जिले के जनपद पंचायत लिघौड़ा स्थित चंद्राहाई नदी पर पुल का निर्माण करने,

(6) श्री रामपाल सिंह (ब्यौहारी), सदस्य की धान खरीदी का भुगतान किसानों को सही ढंग से न मिलने,

(7) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की श्योपुर जिले की कराहल तहसील के ग्राम पहेला के दोनों ओर पक्की-नालियों के निर्माण करने,

(8) श्री रजनीश सिंह, सदस्य की सिवनी के केवलारी विधानसभा क्षेत्र के नगरपालिका चौराहा पर पुलिस द्वारा छात्रों व यूथ कांग्रेस अध्यक्ष के साथ अभद्रता करने,

(9) श्री प्रदीप अग्रवाल, सदस्य की सेवढ़ा विधानसभा क्षेत्र में आवारा गायों द्वारा फसल नुकसान की समस्या का हल न होने, तथा

(10) श्री अशोक रोहाणी, सदस्य की जबलपुर केंट विधानसभा के अंतर्गत खाद्यान्न वितरण में थम्ब प्रक्रिया होने,

सम्बन्धी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं.

3. शून्यकाल में उल्लेख

"भारत का भूगोल" पुस्तक में लेखक द्वारा गौड़ जाति सम्बन्धी अपमानजनक टिप्पणी करने विषयक

श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष ने उल्लेख किया कि "भारत का भूगोल" नामक श्री हरीश कुमार खत्री, लेखक की कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल से एक पुस्तक प्रकाशित हुई है, जो एम.ए. के छात्रों के लिए मध्यप्रदेश में वितरित की जा रही है. उसमें लिखा है कि – "गौड़ शब्द का प्रयोग अनेक जनजातियों के लिए किया गया है जो मध्यप्रदेश में रहती हैं और गौड़ शब्द का गौड़ी भाषा में अर्थ है कि गाय मारने वाला तथा गाय का मास खाने वाला" ये घोर आपत्तिजनक अंश है. इस पुस्तक की किसने मंजूरी दी है. श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने जानना चाहा कि क्या नेता प्रतिपक्ष ने इसको सदन के पटल पर रखा है. श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि नेता प्रतिपक्ष द्वारा जो उल्लेख किया जा रहा है उसको पटलित करने हेतु उन्होंने क्या पूर्व अनुमति ली है ? अन्यथा प्रमाणिकता के बिना कोई बात कहने की अनुमति नहीं देना चाहिए.

इस विषय को उठाने से पहले नेता प्रतिपक्ष इसकी प्रमाणिकता देखते और सदन में पटलित करने की अनुमति लेते तो उचित होता. अन्यथा किसी भी समय किसी भी संदर्भ में कोई बात कह देना, यह न्याय संगत नहीं है. (श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष द्वारा पुस्तक के उक्त अंश वाले पृष्ठ को हस्ताक्षर करके पटल पर रखने हेतु दिया गया)

श्री कैलाश विजयवर्गीय, सदस्य ने मत व्यक्त किया कि नेता प्रतिपक्ष ने निश्चित रूप से गंभीर विषय उठाया है लेकिन विधान सभा नियम और प्रक्रिया के अंतर्गत ही विषय उठाया जाना चाहिए. उन्होंने सदन का ध्यान आकर्षित करा दिया है, यह अच्छी बात है. लेकिन इसे किस नियम के अंतर्गत उठाया है ? यदि स्थगन या ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है तब तो चर्चा की जाए अन्यथा सदन के ध्यान में बात आ गई है. नेता प्रतिपक्ष ने सूचित किया कि चूंकि मुझे आज ही इसकी जानकारी मिली है इसलिए मैंने इसे शून्यकाल में उठाया है.

श्री रामनिवास रावत, डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्यगण ने सदन को सूचित किया कि यह शून्यकाल का विषय है और इसी में उठाया गया है, अध्यक्ष महोदय ने अनुमति भी दी है और नेता प्रतिपक्ष को कभी भी कोई भी मामला सदन में उठाने का अधिकार है.

4. गर्भगृह में प्रवेश एवं वापसी

श्री ओमकार सिंह मरकाम, सदस्य गौड़ जाति का अपमान करने की बात कहते हुए गर्भगृह में आये एवं आसंदी की समझाइश पर वापस अपने आसन पर गए.

5. शून्यकाल में उल्लेख (क्रमश:)

श्री बाला बच्चन, उपनेता प्रतिपक्ष ने उल्लेख किया कि सरकार ने यह पुस्तक प्रकाशित कर पूरे देश के अनुसूचित जनजाति का अपमान किया है. इस बात को शून्यकाल में उठाने में गलत क्या है ? श्री लालसिंह आर्य, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन ने उल्लेख किया कि केन्द्र और प्रदेश में जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की अनुसूची है उसमें कहीं भी यह उल्लेख नहीं है. जैसा नेता प्रतिपक्ष बता रहे है और यह मनगढ़ंत आरोप है. कुंवर विजय शाह, स्कूल शिक्षा मंत्री ने उल्लेख किया कि किसी भी जनजाति के विरूद्ध इस तरह की बात आने या कोर्स में चलने की पूरी जांच करा ली जायेगी.

अध्यक्ष महोदय द्वारा माननीय सदस्यों से अनुरोध किया कि आप सभी सदस्य बैठे तो आपकी बात का शासन से स्पष्टीकरण आए. इस पर श्री मुकेश नायक, सदस्य ने कहा कि मुख्यमंत्री महोदय विधान सभा में आकर इस विषय पर अपना वक्तव्य दें तो हम लोग सुनने के लिए तैयार है. श्री गोपाल भार्गव ने पुन: व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि आज की कार्यसूची में उच्च शिक्षा विभाग की मांगों पर चर्चा होनी है उसमें श्री प्रतिपक्ष के सदस्यगण अपनी बात रख सकते हैं.

6. गर्भगृह प्रवेश एवं व्यवधान के कारण कार्यवाही स्थगित की जाना

इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण गौड़ जाति का अपमान करने की बात कहते हुए गर्भगृह में आये लगातार नारेबाजी और व्यवधान के कारण अध्यक्ष महोदय द्वारा मध्याह्न 12.13 बजे विधान सभा की कार्यवाही स्थगित की जाकर 12.27 बजे पुन: समवेत की गई. किन्तु पुन: अत्यधिक व्यवधान होने पर 12.33 बजे विधान सभा की कार्यवाही स्थगित की जाकर अपराह्न 1.00 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

7. शून्यकाल में उल्लेख (क्रमश:)

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रतिपक्ष द्वारा लगातार नारेबाजी के दौरान सदन को सूचित किया कि सरकार इस विषय पर अपना पक्ष रखना चाहती है, वक्तव्य देना चाहती है. बजट पर चर्चा हो रही है और चर्चा में व्यवधान करना, चर्चा से पलायन करना ठीक नहीं है. कुंवर विक्रम सिंह, सदस्य ने मांग की कि इसकी जांच करवाई जाए. इसमें कौन कौन दोषी हैं जिन लोगों ने इस पुस्तक का परीक्षण किया है और चयन किया है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए.

अध्यक्ष महोदय द्वार सदन को सूचित किया कि शासन वक्तव्य देना चाहता है और उच्च शिक्षा मंत्री बैठे है. आप लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं. विधान सभा की कार्यवाही प्रक्रियानुसार चलती है. शून्यकाल में शासन का वक्तव्य नहीं आता है. उच्च शिक्षा विभाग की मांगों पर चर्चा में विषय उठाने का अवसर उपलब्ध है, तब उच्च शिक्षा मंत्री शासन की ओर से उत्तर देंगे. आप लोग कार्यवाही चलने दें. श्री कैलाश विजयवर्गीय ने उल्लेख किया कि अध्यक्ष महोदय ने जो निर्णय लिया है हम उसका सम्मान करते है और नेता प्रतिपक्ष से आग्रह करते हैं कि सदन में चर्चा करिए.

(इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा गर्भगृह में प्रवेश कर नारेबाजी की जाती रही. सदन में व्यवधान के चलते कार्यसूची में उल्लिखित विषयों पर कार्यवाही जारी रही किन्तु माननीय सदस्यगण द्वारा उन पर चर्चा नहीं की जा सकी.)

8. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) डॉ. गौरीशंकर शेजवार, वन मंत्री ने मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, भोपाल का 41 वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2015-16 पटल पर रखा.

(2) श्री सुरेन्द्र पटवा, राज्यमंत्री, पर्यटन एवं संस्कृति ने मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम मर्यादित, भोपाल का 37 वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2014-15 पटल पर रखा.

9. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक गुरुवार, दिनांक 2 मार्च, 2017 को सम्पन्न हुई, जिसमें वर्ष 2016-2017 के तृतीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक के पुर:स्थापन, विचार एवं पारण तथा वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में सम्मिलित मंत्रियों की विभिन्न मांग समूहों पर चर्चा के लिये उनके सम्मुख अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की गई है :-

क्रमांक	शासकीय विधेयक	आवंटित समय
1.	मध्यप्रदेश वेट संशोधन (विधिमान्यकरण) विधेयक, 2017 (क्रमांक 2 सन् 2017)	30 मिनिट
2.	मध्यप्रदेश विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 3 सन् 2017)	30 मिनिट
3.	मध्यप्रदेश आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय वर्ग को आवास गारंटी विधेयक, 2017 (क्रमांक 6 सन् 2017)	30 मिनिट
4.	मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 7 सन् 2017)	30 मिनिट

सभा द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों पर चर्चा हेतु दिनांक 22 एवं 23 मार्च, 2017 को शाम 5.30 बजे के बाद आवश्यकतानुसार समय वृद्धि की जा सकेगी.

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि अभी अध्यक्ष महोदय ने शासकीय विधेयकों पर चर्चा के लिए समय निर्धारण करने के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़ कर सुनाई, उन्हें सदन स्वीकृति देता है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

10. ध्यानाकर्षण

(1) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, सदस्य, मंदसौर जिले के सीतामऊ जनपद पंचायत में अनियमितता के संबंध में कार्यवाही न किये जाने की ओर पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री गोपाल भार्गव, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री ने वक्तव्य दिया.

(2) श्रीमती इमरती देवी, सदस्य, ग्वालियर जिले के डबरा नगर पालिका अध्यक्ष को अयोग्य घोषित होने पर पद से न हटाये जाने की ओर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्रीमती माया सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने वक्तव्य दिया.

11. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री शंकरलाल तिवारी, सभापति ने याचिका समिति का छियालीसवां, सैंतालीसवां तथा अभ्यावेदन से संबंधित अष्टम् प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

12. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों द्वारा याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं :-

(1) श्री कुंवर सिंह टेकाम (जिला-सिंगरौली)
(2) डॉ. रामकिशोर दोगने (जिला-हरदा)
(3) श्री गोविन्द सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
(4) श्री मधु भगत (जिला-बालाघाट)
(5) श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया (जिला-गुना)
(6) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी (जिला-रायसेन)
(7) श्री संजय उइके (जिला-बालाघाट)
(8) श्री मुकेश नायक (जिला-पन्ना)
(9) श्रीमती शीला त्यागी (जिला-रीवा)
(10) श्री दुर्गालाल विजय (जिला-श्योपुर)
(11) श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर (जिला-टीकमगढ़)
(12) श्रीमती ममता मीना (जिला-गुना)
(13) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार (जिला-मुरैना)
(14) श्री नीलेश अवस्थी (जिला-जबलपुर)
(15) श्री शैलेन्द्र जैन (जिला-सागर)
(16) श्री मथुरालाल (जिला-रतलाम)
(17) कुं. हजारीलाल दांगी (जिला-राजगढ़)
(18) श्री सुशील कुमार तिवारी (जिला-जबलपुर)
(19) श्री दिलीप सिंह परिहार (जिला-नीमच)
(20) श्री महेश राय (जिला-सागर)
(21) श्री पन्नालाल शाक्य (जिला-गुना)
(22) श्री मानवेन्द्र सिंह (जिला-छतरपुर)
(23) श्री कुंवर जी कोठार (जिला-राजगढ़)
(24) श्री पुष्पेन्द्रनाथ पाठक (जिला-छतरपुर)
(25) श्री अनिल जैन (जिला-टीकमगढ़)
(26) श्री अरूण भीमावद (जिला-शाजापुर)
(27) श्री नारायण सिंह पंवार (जिला-राजगढ़)
(28) श्री गोवर्धन उपाध्याय (जिला-विदिशा)
(29) श्रीमती संगीता चारेल (जिला-रतलाम)
(30) श्री आर.डी.प्रजापति (जिला-छतरपुर)
(31) श्री विजय सिंह सोलंकी (जिला-खरगोन)
(32) श्री प्रदीप अग्रवाल (जिला-दतिया)
(33) श्री बहादुर सिंह चौहान (जिला-उज्जैन)
(34) श्री राजेन्द्र फूलचंद वर्मा (जिला-देवास)

13. अध्यक्षीय घोषणा

भोजनावकाश न होने एवं श्रीमद् राजचन्द्र मिशन, धरमपुर द्वारा नाटक "युग पुरूष" का आयोजन करने विषयक

(1) अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया कि आज भोजनावकाश नहीं होगा, भोजन की व्यवस्था सदन की लॉबी में की गई है. माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे सुविधानुसार भोजन ग्रहण करने का कष्ट करें.

(2) अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को यह भी सूचित किया कि कल गुरूवार, दिनांक 23 मार्च, 2017 को अपराह्न 7.00 बजे विधान सभा परिसर में माननीय सदस्यों के लिए श्रीमद् राजचन्द्र मिशन, धरमपुर द्वारा संस्कृति विभाग के सौजन्य से नाटक "युग पुरूष" का आयोजन किया गया है. उक्त कार्यक्रम में माननीय सदस्यों की उपस्थिति प्रार्थित है.

14. वर्ष 2016-2017 के तृतीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि परम्परानुसार, अनुपूरक मांगों की चर्चा में सभी मांगे एक साथ प्रस्तुत की जाकर उन पर एक साथ चर्चा होती है, अत: वित्त मंत्री द्वारा सभी मांगे एक साथ प्रस्तुत की जाएं, तदनुसार, श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि –

" दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 4, 11, 12, 13, 17, 20, 22, 23, 24, 26, 30, 32, 39, 45, 53, 55, 70, 73 तथा 75 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर छह हजार आठ सौ नब्बे करोड़, चौहत्तर लाख, सात हजार, आठ सौ रुपये की अनुपूरक राशि दी जाये. "

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

अध्यक्ष महोदय द्वारा माननीय सदस्यों के नाम पुकारे गए किन्तु विपक्ष के सदस्यगण द्वारा गर्भगृह से व्यवधान के कारण चर्चा नहीं की गई.

अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

15. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2017 (क्रमांक 4 सन् 2017) का पुर:स्थापित किया तथा प्रस्ताव किया कि इस विधेयक पर विचार किया जाए.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

श्री जयंत मलैया ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2017 (क्रमांक 4 सन् 2017) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

16. वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों पर मतदान ..... (क्रमश:)

(व्यवधान एवं शोरगुल के मध्य कार्यसूची में उल्लिखित विषयों पर सदन की कार्यवाही निरन्तर जारी रही. किन्तु गर्भगृह से नारेबाजी करने के कारण, आज की कार्यसूची में उल्लेखित समस्त मांगों के संबंध में विपक्ष के माननीय सदस्यगण द्वारा कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किए गए और व्यवधान के कारण सदस्यगण द्वारा चर्चा प्रारंभ नहीं की जा सकी.)

(15) श्री लालसिंह आर्य, नर्मदा घाटी विकास मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या – 48 नर्मदा घाटी विकास के लिए दो हजार सात सौ पच्चीस करोड़, अड़सठ लाख, छब्बीस हजार रुपये तक की राशि दी जाए.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(16) श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, खेल और युवा कल्याण, धार्मिक न्यास और धर्मस्व मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या – 43 खेल और युवक कल्याण के लिए दो सौ तेईस करोड़, इक्यासी लाख, चौरानवे हजार रुपये, तथा

अनुदान संख्या – 51 धार्मिक न्यास और धर्मस्व के लिए दो सौ बत्तीस करोड़, इक्यासी लाख, सैंतीस हजार रुपये तक की राशि दी जाय.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

(गर्भगृह से नारेबाजी एवं व्यवधान जारी)

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(17) श्रीमती माया सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या – 22 नगरीय विकास एवं पर्यावरण के लिए चार हजार एक सौ इकसठ करोड़, चौसठ लाख, सात हजार रुपये,

अनुदान संख्या – 41 सिंहस्थ, 2016 से संबंधित व्यय के लिए छियासी लाख, बावन हजार रुपये, तथा

अनुदान संख्या – 64 नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिए सात हजार आठ सौ सतहत्तर करोड़, चौरासी लाख, इक्कीस हजार रुपये तक की राशि दी जाए.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

(गर्भगृह से नारेबाजी एवं व्यवधान जारी)

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(18) श्रीमती अर्चना चिटनीस, महिला एवं बाल विकास मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या – 55 महिला एवं बाल विकास के लिए चार हजार तीन सौ चौदह करोड़, पचहत्तर लाख, छह हजार रुपये तक की राशि दी जाय.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

(गर्भगृह से नारेबाजी एवं व्यवधान जारी)

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(19) श्री गौरीशंकर बिसेन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या – 13 किसान कल्याण तथा कृषि विकास के लिए चार हजार तीन सौ तैंतालीस करोड़, पन्द्रह लाख, सतानवे हजार रुपये, तथा

अनुदान संख्या – 54 कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा के लिए एक सौ उनासी करोड़, अड़तीस लाख, बावन हजार रुपये तक की राशि दी जाय.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

(गर्भगृह से नारेबाजी एवं व्यवधान जारी)

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(20) श्री जयभान सिंह पवैया, उच्च शिक्षा, लोक सेवा प्रबंधन, जनशिकायत निवारण मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या – 21 लोक सेवा प्रबन्धन के लिए निन्यानवे करोड़, बारह लाख, एक हजार रुपये, तथा

अनुदान संख्या – 44 उच्च शिक्षा के लिए दो हजार दो सौ तिरानवे करोड़, छत्तीस लाख, चौरानवे हजार रुपये तक की राशि दी जाए.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

(गर्भगृह से नारेबाजी एवं व्यवधान जारी)

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए.
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

अपराह्न 1.33 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 23 मार्च, 2017 (2 चैत्र, शक सम्वत् 1939) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

अवधेश प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल:
दिनांक: 22 मार्च, 2017